4861

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

ज्ञाप सं0–2/अ.2–12/2001 (खण्ड–1)– ...................../ पटना, दिनांक ................../2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष–2025–26 में भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना को ₹ 1,00,00,000/–(एक करोड़ रुपये) मात्र सहायक अनुदान–वेतन की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

2. इस राशि का विकलन वर्तमान वित्तिय वर्ष–2025–26 में मांग संख्या–08 के अधीन बजट शीर्ष–"2205–कला एवं संस्कृति–101–ललित कला शिक्षा–0004–भारतीय नृत्य कला मंदिर विपत्र कोड 08 2205001010004 के अंतर्गत विषय शीर्ष–3104–सहायक अनुदान–वेतन में होगा।

3. इस राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना को वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं BTC के आलोक में उनके खाता संख्या–300202010916142, IFSC Code-UBIN0530026 में भुगतान किया जायेगा।

4. राशि का व्यय बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार अधिमानता नीति, 2024 एवं वित्त विभागीय निदेशों के आलोक में नियमानुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि का लेखा जोखा अलग रखा जायेगा। वित्त विभाग के ज्ञापांक–13158, दिनांक–25.10.1975 में सन्निहित शर्तों के आलोक में भारतीय अंकेक्षण एवं बिहार सरकार के अंकेक्षण विभाग को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। सम्पूर्ण राशि या इसके किसी अंश का दुरूपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से वसूलनीय होगा।

6. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का समायोजन प्राथमिकता के साथ 18 माह के अंदर उपलब्ध कराना होगा।

7. वित्तीय वर्ष–2022–23 एवं वितीय वर्ष 2023–24 में भारतीय नृत्य कला मंदिर को सहायक अनुदान वेतन मद में उपलब्ध करायी गयी क्रमशः राशि ₹ 40,00,000/–(चालीस लाख रुपये) मात्र एवं ₹ 32,50,000/–(बत्तीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय पत्रांक–1088 दिनांक–10.12.2025 एवं विभागीय पत्रांक–1089 दिनांक–10.12.2025 द्वारा महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सामंजन हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में दी गयी है।

9. उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–2/अ.2–12/2001 (खण्ड–1) के पृष्ठ–124/टि0, दिनांक–11.12.2025 एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ–138/टि0, दिनांक–03.02.2026 पर प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(रूबी)
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ज्ञापांक 255 / पटना, दिनांक 12/02/2026

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सांस्कृतिक कार्य/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदा0–1 एवं 2/लेखाशाखा (दो प्रतियों में)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) /आई0टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/02/26

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।